

जिला खनन कार्यालय, सारण, छपरा

पत्रांक...../खनन, दिनांक.....

प्रेषित,

साहेब कन्सल्टेशन,
प्रो०-साहेब राय,
पिता-बबन राय, बड़ा तेलपा,
भिखारी चौक, सारण।

विषय सारण जिलान्तर्गत गंगा नदी के घेंघटा तेलपा घाट/ब्लॉक-06 की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक-24.11.2022 को सम्पन्न ई-नीलामी में उच्चतम डाकवक्ता घोषित होने के फलस्वरूप सैद्धांतिक स्वीकृतादेश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सारण जिलान्तर्गत गंगा नदी के घेंघटा तेलपा घाट/ब्लॉक-06, रकबा-8.95 हेक्टेयर की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक-24.11.2022 को सम्पन्न ई-नीलामी में आपके द्वारा रु. 1,20,82,500/- (एक करोड़ बीस लाख बरासी हजार पाँच रु० मात्र) की सुरक्षित जमा राशि के विरुद्ध उच्चतम डाक की राशि रु. 1,32,90,750/- (एक करोड़ बत्तीस लाख नब्बे हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) की बोली लगाये जाने के फलस्वरूप आप उच्चतम डाकवक्ता घोषित हुए हैं। निविदा दस्तावेज की कंडिका-20 (i) के आलोक में आपके द्वारा नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि (जमा अग्रधन राशि समायोजनोपरान्त) प्रतिभूति जमा के रूप में राशि रु 3,02,063/- (तीन लाख दो हजार तिरेसठ रु मात्र) के भुगतान का साक्ष्य दिनांक- 03.12.2022 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

निविदा दस्तावेज की कंडिका 20 (i) (ii) (iii) (iv) (v) के आलोक में जिलान्तर्गत गंगा नदी के घेंघटा तेलपा घाट/ब्लॉक-06 का सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्त एवं बंधेज निम्नवत् हैं :-

1. घेंघटा तेलपा घाट/ब्लॉक-06 से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :-

क्र.	नदी का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)	Geo Coordinates	
			Latitude	Longitude
1	गंगा (Perennial)	8.95	25° 44' 59.46" N	84° 47' 22.50" E
			25° 45' 4.44" N	84° 47' 26.45" E
			25° 45' 14.81" N	84° 47' 12.72" E
			25° 45' 9.40" N	84° 47' 9.74" E

2. भुगतान की शर्त:-

- नीलामीत-राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके अनुक्रमी वर्षों में बंदोबस्ती की राशि गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित निदेशों के अनुरूप होगा।
- प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त आपको निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करना होगा :-

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथमकिस्त(50%)	(क) पट्टा संविदा निष्पादन से पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त(25%)	पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 03 महीना पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त(25%)	पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 06 महीना पूरा होने से पहले।

3. **GSI का भुगतान** :- जी०एस०टी० के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन कार्यालय, सारण में जी०एस०टी० भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।
4. **आयकर/अन्य करों का भुगतान** :- आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्तकरना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन कार्यालय, सारण द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।
5. **जिला खनिज फाउण्डेशन** :- Bihar District Mineral Foundation Rules, 2018 के अनुसार बंदोबस्ती राशि की दो (2) प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउण्डेशन, सारण के नाम भुगतये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।
6. **वैधानिक अनापत्ति** :- बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति यथा:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि निर्धारित अवधि के अन्दर आपके द्वारा प्राप्त करना होगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किये जाने हेतु कार्यदेश निर्गत किया जा सकेगा।
-वैधानिक अनापत्ति/अनुमति निम्नानुसार है:-
 - i. **खनन योजना**:- खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा QCI/NABET से मान्यता प्राप्त Professional RQP से तैयार कर निदेशक, खान या विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष लेटर ऑफ इंटेंट निर्गत होने से 30 दिनों के अन्दर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। खनन योजना बनाने पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित खनिज डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही खनन योजना की जाँच हेतु समाहर्ता/विभाग अन्य एजेंसी चयनित कर सकेगा, जिसका निर्धारित फीस/खर्च भी बंदोबस्तधारी को ही वहन करना होगा। सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना के अनुसार खनन करना सुनिश्चित करेंगे।
 - ii. **पर्यावरणीय स्वीकृति**:- सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना अनुमोदन के 15 दिनों के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के लिए प्रस्ताव समर्पित करेगा। समयबद्ध रीति से पर्यावरणीय एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना सफल डाकवक्ता की जिम्मेवारी होगी। अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए सफल डाकवक्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
 - iii. **जल एवं वायु सहमति**:- पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात सफल डाकवक्ता अधिकतम 07 (सात) दिवस के अंदर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सक्षम पदाधिकारी के समक्ष सहमति/ Consent to Establish/ Consent to Operate प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।
 - iv. **खनन के लिए अनुमत मात्रा**:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त सहमति में वर्णित बालू की मात्रा (इनमें से जो भी कम हो) तक ही खनन अनुमान्य होगा। अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सहमति में खनन योग्य मात्रा कम किये जाने पर भी वार्षिक देय बंदोबस्ती राशि किसी स्थिति में कम नहीं की जाएगी।
 - v. **बिना किसी वैध कारण के पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/ Consent to Operate /जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं कर पाते हैं या प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते हैं तो, समाहर्ता द्वारा अग्रधन की राशि को जप्त कर लिया जायेगा।**
7. **बंदोबस्ती विलेख/पट्टा संविदा (डीड) निष्पादन करना** :-
 - i. सफल डाकवक्ता द्वारा सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान/बंदोबस्ती स्वीकृत किया जाएगा। सफल डाकवक्ता

निहित समय में संबंधित विभाग/संस्था/बंदीवस्ती मिलेख जलवा संसके समकय एक अन्तर कार्य कराने को पठावे निष्ठावित करेगा तथा निहित अतिरिक्त शक्ति संबंधित विभाग में आम कर वेगा। बंदीवस्ती के पट्टे की अतिरिक्त विवेक/शक्ति निष्ठावन की तिति से पौन वर्षी के लिए निष्ठावन होगा।

ii बंदीवस्ती के निष्ठावित शक्ति का निरसन संबंधित विभाग के प्रस्तावित विभाग के अतीन 01 माह को अन्तर कराना अनिवार्य होगा।

iii सफल डाकवक्ता/बंदीवस्ती द्वारा बंदीवस्ती प्रमाण/कारोबार छोड़ने का विकल्प विहार निष्ठा (सम्पुर्ण, अतिरिक्त स्वतन्त्र, परिवहन एकाग्रकरण विकल्प) निगमावली, 2019 के नियम-60 के अनुकूल किया जा सकेगा।

iv साधारण शर्त -

- (i) निविदावाता/सफल डाकवक्ता/बंदीवस्ती द्वारा ई-मिल के माध्यम से किया गया बंधनकारी होना होगा।
- (ii) बंदीवस्ती देने की बात सही बालूघाटी के लिए बालू के उत्खनन कार्य में संलग्न सभी सहयोगी व्यक्तियों/प्रबंधकों की सूची, पूर्ण पता एवं फोटो के साथ एक माह के अन्दर समाहर्षी को उपलब्ध कराना एवं फोटो पर अपलोड करना होगा। यदि इसमें कोई बदलाव होता है तो उसकी भी सूची अतिरिक्त फोटो पर अपलोड/उपलब्ध करानेगी।
- (iii) बंदीवस्ती नदी तट से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईन बोर्ड एवं सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन करानेगा जिस पर बंदीवस्ती का नाम एवं पता, बंदीवस्ती की अवधि, स्थानीय निरीक्षण में नहीं पाया गया तो शक्ति अधिरोपित की जाएगी।
- (iv) बंदीवस्ती भय विविधों के प्राधानी के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रेच) तथा फर्ट एंड फिट की व्यवस्था संबंधित बालू घाटी में लग श्रमिकों के लिए करेगा।
- (v) बंदीवस्ती संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटी का प्रबालन करेगा। किसी रूप में किये गये उपग्रह (सर्वेडिंग) के लिए बंदीवस्ती रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटी/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पट्टे-पथ (अप्रोच रोड) का निर्माण सफल डाकवक्ता/बंदीवस्ती द्वारा स्वयं अपने खर्च से किया जाएगा।
- (vi) बालूघाटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल डाकवक्ता/बंदीवस्ती की होगी।
- (vii) सफल डाकवक्ता/बंदीवस्ती बंदीवस्ती क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेदार होगा और पाई गई किसी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा सफल डाकवक्ता/बंदीवस्ती के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- (viii) सफल डाकवक्ता/बंदीवस्ती समाहर्षी द्वारा बालूघाटी के संचालन के संबंध में लोक हित में जारी निबंधों और शर्तों तथा निदेशों का पालन करेगा।
- (ix) यथोक्त शर्तों, कंजों एवं निबंधों का पालन नहीं करने पर कारण पृच्छा निर्गत कर बंदीवस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।
- (x) सफल डाकवक्ता/बंदीवस्ती धारी को खनन राजस्व/जीएसटी/आयकर/डीएमएफ/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करने की दशा में 30 दिनों के अंदर कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अंदर सफल डाकवक्ता/बंदीवस्ती द्वारा बकाया का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में शक्ति दसूरी की कार्रवाई के साथ-साथ बंदीवस्ती रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
- (xi) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटी से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटि पाए जाने पर संशोधन का अधिकार जिला खनन कार्यालय, सारण का होगा। बालूघाटी का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाम/विशिष्टियों का सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू बंदीवस्ती को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना सफल डाकवक्ता/बंदीवस्ती की जवाब देही होगी, जिसे RQP/अवलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित कर बालूघाटी के निर्धारित क्षेत्र का Reduced Level (RL)/Pre-Level (PL) एवं Satellite

images खनन कार्य प्रारंभ करने के पहले जिला खनन कार्यालय, सारण में समर्पित करना होगा।

- (xii) बालूघाट से लिक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग सिंचाई नहर पड़ती हो तो सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवेदन जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिए जाएंगे।
- (xiii) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः बंदोबस्तधारी की होगी एवं विभाग से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xiv) बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xv) ई-नीलामी एवं बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।
- (xvi) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गयी कोई भी सूचना/निदेश/आदेश इत्यादि IT-Act के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में माना जायेगा।
- (xvii) इसके अतिरिक्त बालूघाट के संचालन से संबंधित सरकार द्वारा लागू नियमों/आदेशों तथा निविदा दास्तावेज का पालन बंदोबस्तधारी को करना होगा।

हो/-

खनिज विकास पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक- 3338 / एम० दिनांक- 05/12/2022
प्रतिलिपि:- निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Sanjay
05-12-22
खनिज विकास पदाधिकारी,
सारण, छपरा।



SANJAY MANWANI

Sanjay
QCI- Nabet Qualified Person